रजिस्ट्री सं. डी एल—33002/99 भारत सरकार REGD. No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2008/श्रावण 30, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 145
No. 131] DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2008/SRAVANA 30, 1930 [N.C.T.D. No. 145

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. 8/6/सीओटी/सीएफडी/2008-09/1023-30.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक समझती है,

अब, इसलिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा दिल्ली जल बोर्ड कौगूलेशन और फिल्ट्रेशन सिस्टम चन्द्रावल वाटर वर्क्स नं. 1 प्रस्तावित 1.6808 हैक्टेयर क्षेत्र को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है जिसमें 63 वृक्षों का गिराया जाना तथा 29 वृक्षों का प्रत्यारोपण सम्मिलित है।

यह छूट वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अधीन निर्मित नियमावली के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड कौगूलेशन और फिल्ट्रेशन सिस्टम चन्द्रावल वाटर वर्क्स नं. 920 वृक्ष लगाये जाने तथा प्रतिभूति जमा के भुगतान के अनुसार है। दिल्ली जल बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि पेड़ों से काटे जाने से प्राप्त की गई लकड़ी को दिल्ली नगर निगम मुर्दाघाट के सम्बन्धित अधिकारियों को दे दी गई है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जे. के. दादू, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE
NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 8(6)/COT/CFD/2008-09/1023-30.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary so to do in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of 1.6808 Ha proposed for construction of coagulation and filtration system at Chandrawal Water Works-I, by Delhi Jal Board from the provisions of sub-section (3) of Section 9 of the said Act, involved in felling of 63 trees and transplanting of 29 trees.

The exemption is subject to the payment of security deposit and raising of 920 trees by Delhi Jal Board of Coagulation and Filtration System at Chandrawal Water Works-I, in accordance with rules made under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994. Delhi Jal Board would also ensure that the wood so obtained upon felling of trees is handed over to the concerned officials of MCD for its use in public crematoria in Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
J. K. DADOO, Secy.

गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. 13/13/2003-गृह पुलिस-I/स्था./1977.— गृह पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 1989 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **नियम 17 ख में संशोधन :–** दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 1989 के नियम 17–ख जो संप्रेषण संवर्ग में भर्ती नियमावली से संबंधित हैं के खंड (iv) में :–

(क) ''पदनाम'' से संबंधित कॉलम 1 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''सहायक वायरलैस आपरेटर/टैली प्रिंटर आपरेटर (एच सी)'';

(ख) ''पदों की संख्या'' से संबंधित कॉलम 2 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''1444 (2008)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है'';

(ग) ''वर्गीकरण'' से संबंधित कॉलम 3 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''समूह 'ग' (अराजपत्रित)(तकनीकी)'';

(घ) ''वेतनमान'' से संबंधित कॉलम 4 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''3200–85–4900/–रुपये'';

(ङ) ''पदों की संख्या'' से संबंधित कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''(i) ''गैर चयन'' यदि पदोन्नति द्वारा पद भरा जाये, तथा
(ii) ''लागू नहीं'' जब पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाये'';

(च) ''क्या के0 सि0 से0 (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अर्न्तगत जोडे गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राहय है'' से संबंधित कॉलम 6 में प्रविष्टि के लिये निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''हाँ'';

(छ) ''सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा'' से संबंधित कॉलम 7 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''18 से 27 वर्ष के बीच, (भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय),''

(ज) "सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं" से संबंधित कॉलम 8 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान तथा अंकगणित विषय के रूप में 10+2 उत्तीर्ण (सीनियर सैकेंडरी)

या

राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र (एनटीसी) मैकेनिक–एवं– ऑपरेटर इलैक्ट्रोनिक सम्प्रेषण सिस्टम

(ख) अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट

(ग) सीधी भर्ती/समावेशन के माध्यम से चयन किए गए प्रत्याशियों को वायरलैस ए0 डब्ल्यू0ओ0 ग्रेड–III पाठ्यक्रम के लिये पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में 9 (नौ) मास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जाना होगा जिसमें रेडियों सिद्धान्त, रेडियो पद्धति, प्रायोगिक तथा टाइपिंग शामिल हैं। उन्हें अपराध विधि एवं पद्धति, प्रायोगिक पुलिस कार्य, मानवाधिकार आदि के ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इसके अलावा पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित परेड ड्रिल, फायरिंग, निहत्था, युद्ध तथा शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। उन्हें पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो प्रत्याशी प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करेंगे उनका प्रशिक्षण समय चार माह बढाया जायेगा तथा इस अवधि में उन्हें अनुत्तीर्ण विषयों को उत्तीर्ण करने के दो अवसर दिए जायेंगे, अनुत्तीर्ण रहने पर केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अंतर्गत उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(घ) प्रत्याशी पूर्ण तथा स्वस्थ, रोग कमी या विकलांगता से मुक्त होगा।

(ङ) बेहतर दृष्टि 6/6 चश्मे के बिना/खराब दृष्टि 6/36 चश्मे के साथ सुधार से 6/9 या 6/12 (दोनों आँखें)। प्रत्याशी रंग अन्धता से मुक्त होना चाहिए।

(च) लम्बाई :–
पुरुष प्रत्याशी : 170 सें0मी0। पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा तथा गढवाली प्रत्याशियों के लिये 5 सें0मी0 तक शिथिलनीय
महिला प्रत्याशी :157 सें0मी0। पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा तथा गढ़वाली प्रत्याशियों के लिये 5 सें0मी0 तक शिथिलनीय

(छ) सीना :–
पुरुष प्रत्याशी :–81–85 सें0मी0 पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् गोरखा तथा गढवाली प्रत्याशियों के लिये 5 सें0मी0 तक शिथिलनीय
महिला प्रत्याशी :– लागू नहीं ";

(झ) "क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी" से संबंधित कॉलम 9 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"नहीं";

(ञ) "परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो" से संबंधित कॉलम 10 में प्रविष्टि के लिये निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"दो वर्ष";

(ट) "भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत" से संबंधित कॉलम 11 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"100प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (i) 60प्रतिशत प्रत्याशी बाहरी स्रोतों से (ii) 40प्रतिशत कांस्टेबलों (कार्यकारी) से, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए)

नोट:– बाहरी प्रत्याशियों तथा विभागीय प्रत्याशियों के लिए प्रवेश परीक्षा समान होगी";

(ठ) "यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है" से संबंधित कॉलम 12 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

" ग्रेड में 03 वर्षों (तीन) की नियमित सेवा को पूरी करने वाले दिल्ली पुलिस के स्थायी सिपाही में से समावेशन तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (सीनियर सैकेंडरी) पास लेकिन उनकी आयु 30 वर्ष से कम हो, (चयन बोर्ड द्वारा चुने जाने के लिये)";

(ढ) यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? से संबंधित कॉलम 13 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"दिल्ली पुलिस (पदोन्नति तथा स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के नियम 8 में यथा–उपबंधित चयन बोर्ड";

(ण) "वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है" से संबंधित कॉलम 14 में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"लागू नहीं"

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 13/13/2003/HP-I/Estt./1977.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 1989, namely:-

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment of rule 17-B

2. In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 1989, in rule 17-B pertaining to the Recruitment Rules for the post in the Communication Cadre in clause (iv):-

(a) for the entry against column 1, relating to the 'Name of the Post', the following entry shall be substituted, namely:-
"Assistant Wireless Operator /Tele-Printer Operator (H.C.).";

(b) for the entry against column 2, relating to the 'Number of Posts', the following entry shall be substituted, namely:-
"1444 (2008)* subject to variation dependent on work-load.";

(c) for the entry against column 3, relating to the 'Classification', the following entry shall be substituted, namely:-
" Group 'C' (Non-Gazetted) (Technical).";

(d) for the entry against column 4, relating to the 'Scale of Pay', the following entry shall be substituted, namely:-
"3200-85-4900.";

(e) for the entry against column 5, relating to the 'Whether selection post or non-selection post', the following entry shall be substituted, namely:-
" (i) 'Non-selection' if the post is filled by promotion, and
(ii) 'Not applicable' when the post is filled through direct recruitment.";

(f) for the entry against column 6, relating to the 'Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension), Rules, 1972', the following entry shall be substituted, namely:-
" Yes.";

(g) for the entry against column 7, relating to the 'Age limit for direct recruitment', the following entry shall be substituted, namely:-
"Between 18 to 27 years, (relaxation as per orders /instructions issued by the Govt. of India from time to time).";

(h) for the entry against column 8, relating to the 'Educational & other Qualification required for direct recruits, the following entry shall be substituted, namely:-
"(a) Passed 10+2 (Senior Secondary) from a recognized Board with Science & Mathematics as subjects.

OR

National Trade Certificate (NTC) in the trade of Mechanic-cum-operator Electronic Communication System.
(b) Speed in Typing English 30 words per minute.
(c) The candidates selected through direct recruitment / absorption shall have to undergo 09 (Nine) months training programme at the Police Training College of wireless AWO Grade-III course having Radio Theory, Radio procedure, practical and typing. They will also be given training in knowledge of criminal law and procedure, practical police work, human rights etc. besides parade drill, firing unarmed combat and physical training as prescribed from time to time be the Commissioner of Police, Delhi. They will be required to pass the final examination conducted by the PTC. The training of those who do not pass would be extended by four months and during this period they would be given a maximum of two chances to clear the subjects in which they have failed, failing which their services shall be liable to be terminated under CCS (Temporary Services) Rules, 1965.
(d) The candidate should be of sound health, free from disease, defect or deformity.
(e) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (Both eyes). Candidate should be free from colour blindness.

(f) Height :-
Male candidates: 170 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.
Female candidates: 157 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.

(g) Chest:-
Male candidates: 81-85 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies.
Female candidates: Not applicable.";

(i) for the entry against column 9, relating to the 'Whether age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottees, the following entry shall be substituted, namely:-
" No.";

(j) for the entry against column 10, relating to the 'Period of probation, in any, the following entry shall be substituted, namely:-
"Two years.";

(k) for the entry against column 11, relating to the 'Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/transfer/deputation or percentage of the vacancies to be filled by various methods, the following entry shall be substituted, namely:-
" 100% by direct recruitment ((i) 60% from the candidates from the open market and (ii) 40% from the Constable (Executive) by giving them age relaxation as per GOI's instructions.)
Note:- Entrance Test for outside candidates and departmental candidates shall be same.";

(l) for the entry against column 12, relating to the 'In case of recruitment by promotion/transfer/deputation/grades from which promotion/ deputation/transfer to be made, the following entry shall be substituted, namely:-
"Absorption from confirmed Constable of Delhi Police having completed 03 (three) years regular service in the grade and having passed 10+2 (Senior Secondary) from a recognized Board but below thirty years of age, to be selected by a Selection Board.";

(m) for the entry against column 13, relating to the 'If a DPC exists what is its composition, the following entry shall be substituted, namely:-
"Selection Board as provided in Rule 8 of the Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules, 1980.";

(n) for the entry against column 14, relating to the 'Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment, the following entry shall be substituted, namely:-
" Not applicable.";

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. N. SHARMA, Jt. Secy.

गृह-III विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. 31/66/2007-गृह-III विभाग/658-669.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0 24/78/68–डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "सहायक निदेशक (फिंगर प्रिन्ट)" के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को सहायक निदेशक (फिंगर प्रिन्ट) न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2008 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है याविवाह का अनुबंध करता है; या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव**:– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में, ''सहायक निदेशक (फिंगर प्रिन्ट)'' के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर-चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (फिंगर प्रिन्ट)	01*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	10,000-325-15,200 रुपये	नहीं	नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप** :-आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : (i) बी एस सी स्तर पर रसायन या न्यायिक विज्ञान एक विषय के रूप सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या भौतिकी या जीव विज्ञान या न्यायिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) सुसंगत क्षेत्र में विश्लेषण पद्धति/अनुसंधान में पाँच वर्ष का अनुभव। टीप 1 :— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यतायें शिथिलनीय हैं। टीप 2 :— यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यताएं : नहीं	1 वर्ष सीधी भर्ती के लिए

8	
वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। वांछनीय :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधा में डॉक्टरेट डिग्री अथवा समकक्ष।	

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
11	12
मिश्रित पद्धति — प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित)+पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मिश्रित पद्धति—प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित)+पदोन्नति केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध-शासकीय/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 8000-13,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित, या (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 6500-10,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा सहित, या (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ रखने वाले; 8,000-13,500 रुपये के वेतनमान में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा यदि वह पद पर नियुक्ति के लिये चुना जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा। [प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।]

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।
13	14
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए): 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य 3. विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

3169 DG/08-2

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 31/66/2007/HOME-III Deptt./658-669.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Assistant Director (Finger Print)** in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**- (1) These rules may be called the **Assistant Director (Finger Print)**, Forensic Science Laboratory, Recruitment Rules, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay**- The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. **Disqualification**- No person- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (FINGER PRINT) IN FORENSIC SCIENCE LABORATORY, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non – Selection Post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Director (Finger Print)	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	10000-325-15200	N.A.	No	Not exceeding 40 years. Relaxable for government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District or Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep	**Essential:** I) Master's degree in Chemistry or Physics or Biological Science or Forensic Science with Chemistry or Forensic Science as one of the subject at B.Sc. level from a recognized University or equivalent. II) 5 years experience of analytical methods / research therein in the relevant field. **Note-1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note-2:** The qualification (s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be rec orded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Doctorate degree in concerned discipline from a recognized University or equivalent.

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation /absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age : No EQs : NO	1 year for direct recruits.	Composite Method - Deputation (ISTC) Plus Promotion failing which by direct recruitment.	**Composite Method – Deputation (ISTC) Plus Promotion:** Officers under the Central / State Govts. / UTs / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi – Govt. / Autonomous Organizations:- (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; **OR** (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.8000-13,500/- or equivalent in the parent cadre / department; **OR** (iii) With eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500/- or equivalent in the parent cadre / department and b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column No. 8. (The departmental Senior Scientific Officer (Finger Print) with 05 years regular service in the pay scale of Rs. 8000-13500/- shall also be consideration along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)	**Group 'A' DPC** (for considering confirmation) 1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi – Chairman 2. Principal Secretary (Home), Govt. of N.C.T. of Delhi - Member 3. HOD, Govt. of NCT of Delhi - Member	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.
R. N. SHARMA, Jt. Secy.

सं. फा. 31/67/2007-गृह-III विभाग/670-681.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं० 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **"वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट)"** के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :– (1) इन नियमों को **वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट)** न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2008 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) मे यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती **पद्धति**, आयु **सीमा**, योग्यता **इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :– ऐसा कोई भी व्यक्ति (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है याविवाह का अनुबंध करता है; या (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचावः– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में, "वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट)" के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर-चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगर प्रिन्ट)	01* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	8000-275-13,500 रुपये	गैर-चयन	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। टीप :-आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : (i) बी.एस.सी. स्तर पर रसायन या न्यायिक विज्ञान एक विषय के रूप सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या भौतिकी या जीव विज्ञान या न्यायिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) सुसंगत क्षेत्र में विश्लेषण पद्धति/अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव। टीप 1 :— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यताएं शिथिलनीय हैं। टीप 2 :— यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यताएं : हाँ	1 वर्ष सीधी भर्ती द्वारा एवं पदोन्नति के लिये

8

वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

वांछनीय :—

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधा में डॉक्टरेट डिग्री अथवा समकक्ष।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
11	12
मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित) + पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**मिश्रित पद्धति**— प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित)+पदोन्नति केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध-शासकीय/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 6500—10,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित; या (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 5500—9,000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित; या (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ रखने वाले; 5500–9,000 रुपये के वेतनमान में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिन्ट) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा यदि वह पद पर नियुक्ति के लिये चुना जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा। [प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।]

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
13	14
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) : 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य 3. विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

No. F. 31/67/2007/HOME-III Deptt./670-681.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Senior Scientific Officer (Finger Print)** in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**- (1) These rules may be called the **Senior Scientific Officer (Finger Print)**, Forensic Science Laboratory, Recruitment Rules, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay**- The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. **Disqualification**- No person- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR SCIENTIFIC OFFICER (FINGER PRINT) IN FORENSIC SCIENCE LABORATORY, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or Non – Selection Post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Scientific Officer (Finger Print)	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	8000-275-13500	N.A.	No	Not exceeding 35 years. Relaxable for government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District or Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep.	**Essential:** I) Master's degree in Chemistry or Physics or Biological Science or Forensic Science with Chemistry or Forensic Science as one of the subject at B.Sc. level from a recognized University or equivalent II) 3 years experience of analytical methods / research therein in the relevant field. **Note-I:** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note-2:** The qualification (s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Doctorate degree in concerned discipline from a recognized University or equivalent.

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation /absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age : No EQs : Yes	1 year for direct recruits & promotees.	Composite Method – Deputation (ISTC) Plus Promotion failing which by direct recruitment.	**Composite Method – Deputation (ISTC) Plus Promotion** Officers under the Central / State Govts. / UTs / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi – Govt. / Autonomous Organizations:- (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; **OR** (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.6500-10500/- or equivalent in the parent cadre / department; **OR** (iii) With eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000/- or equivalent in the parent cadre / department and b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column No. 8. The Departmental Senior Scientific Assistant (Finger Print) with 08 years regular service in the pay scale of Rs. 5500-9000/- shall also be consideration along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)	**Group 'A' DPC** (for considering confirmation) 1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi – Chairman 2. Principal Secretary (Home), Govt. of N.C.T. of Delhi - Member 3.. HOD, Govt. of NCT of Delhi - Member	Consultation with UPSC is necessary for appointment to the post on each occasion.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. N. SHARMA, Jt. Secy.

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. 11(44)/06/भू.व भ./भू.अ./6227.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा **दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत नरेला-बवाना फैज-II के विकास** हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है ।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ.11(44)/06/भूव भ./भू.अ./7535 दिनांक 22.08.2007 के द्वारा जारी की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर–पश्चिम) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर–पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)	खसरा नं0	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)
बवाना	**11—15**	**125// 5**	**4-16**
		125// 6	**4-16**
		125//15	**2-03**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राजयपाल
के आदेश तथा नाम पर,
जी. एस. मीणा, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 11(44)/06/L&B/LA/6227.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for development of Narela Bawana Phase-II under Planned Development of Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, in respect of the land notified U/s 4 of L.A. Act, 1894 vide Notification No. F.11(44)/06/L&B/LA/7535 dated 22.08.2007to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

3169 DG/08—4

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-West) Delhi.

SPECIFICATION

VILLAGE	TOTAL AREA (BIGHA-BISWA)	KHASRA NO.	AREA (BIGHA-BISWA)
BAWANA	11-15	125// 5	4-16
		125// 6	4-16
		125// 15	2-03

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital
Territory of Delhi,
G. S. MEENA, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. फा. III/125/टी एण्ड टी/प्रशा./2008/भाग-1/1260.—दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं, अर्थात.-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम (श्री/ श्रीमती/ कु०सुश्री)	पदनाम
1.	रमा शंकर प्रसाद	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	राम कुमार अग्रवाल	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	के०एस० शर्मा	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अर्चना अरोड़ा, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. III/125/T&T/Estt./2008/Pt-I/1260.—**In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with immediate effect, to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :-**

S.No.	Name of the Officer (Sh/Smt/Km)	Appointed as
1.	Rama Shankar Prasad	Value Added Tax Officer
2.	Ram Kumar Aggarwal	Value Added Tax Officer
3.	K.S. Sharma	Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
ARCHNA ARORA, Spl. Secy.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

स. फा. 21(74)/सैक्रेटरा/एस.टी.ए./2001/245.— मोटर वाहन, अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 89 की उपधारा (2), धारा 2 के खंड 41 के साथ पठित में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सहर्ष, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण का, श्री तलवन्त सिंह, पीठासीन अधिकारी, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सहित तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठन करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 21(74)/Secy/STA/2001/245.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 89 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute State Transport Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi, consisting of Shri Talwant Singh, Presiding Officer, Delhi School Tribunal, Government of National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सं. एफ. 35/अनुदेशक (एवीटीएस)/प्रशिक्षण प्रशा./2006/641.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग का पूर्व परामर्श के पश्चात :–

1. इसके साथ संलग्न अनुसूची में इस सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदेशक (एडवांस व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति) के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित नियम बनाते हैं; तथा

2. दिनांक 05.09.1984 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 05.09.1984 की अधिसूचना सं. फा. 2(23)/83–सेवाएं–2 द्वारा अधिसूचित इस सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अनुदेशक (एवीटीएस) के पदों के संबंधित भर्ती नियमों (अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी/मैकेनिकल रखरखाव/इलैक्ट्रिकल रखरखाव/मैकेनिकल आटोमोबाईल में प्रवेश) को निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मुकेश प्रसाद, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली में अनुदेशक (एडवांस व्यवसायिक प्रशिक्षण पद्धति) के पदों के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर-चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन नियमावली के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
अनुदेशक (एडवांस व्यवसायिक प्रशिक्षण पद्धति)	04*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	6500-200-10,500 रुपये	चयन	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश/अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य : 1. मन्यताप्राप्त बोर्ड/ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित संस्थान से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष। 2. सुसंगत क्षेत्र में 5 वर्ष का औद्योगिक/शिक्षण का अनुभव **नोट :** क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव दोनों के संबंध में सही विधा प्रत्येक भर्ती के समय अधिसूचित की जायेगी। **नोट (i)** अभ्यर्थी के अन्यथा सुयोग्य होने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर योग्यताएं लिखित रूप से अभिलेखबद्ध लिए गए कारणों पर शिथिलनीय। **नोट (ii)** अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी की स्थिति में अनुभव संबंधी योग्यताएं लिखित कारणों से अभिलेखबद्ध किए जाने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा शिथिलनीय यदि चयन के किसी स्तर पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की राय है कि इस समुदाय से	आयु : नहीं योग्यताएं : हाँ	दो वर्ष

8	
अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का इनके लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना संभव नहीं है ।	
भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

11	12
50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति :—** (क) 4,500-7,000 रु. के वेतनमान में, इस ग्रेड में 8 वर्षों की अर्हक सेवा सहित कुशल कामगार (एवीटीएस) । **नोट** :— जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों पर जो अर्हक/पात्र सेवा पूरी कर चुके हैं, विचार किया जा रहा है उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा इस अर्हक/पात्र सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पूरा कर लिया हो, अपने या उन कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ही यह अर्हक/पात्र सेवा पूरी कर ली हो ।
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।

13	14
समूह— "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए) 1. वित्त आयुक्त – अध्यक्ष 2. विभाग का प्रशासनिक सचिव – सदस्य 3. उप सचिव सेवा – सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक अधिकारी जो ए.डी.एम./उप सचिव, दिल्ली सरकार के पद से कम न हो – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ।

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2008

No. F. 35/Instructor (AVTS)/Trg. Admn./2006/641.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F27/59/-Him (i) dated the 13th July 1959, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to:

1. **make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the posts of Instructor (Advanced Vocational Training System) under the Directorate of Training & Technical Education of this Government, and**

2. **to cancel the recruitment rules relating to the posts Instructor (AVTS) (Induction to Engg. Technology/ Mechanical Maintenance/ Electrical Maintenance/ Mechanical Automobile) under the Directorate of Training & Technical Education of this Government notified vide notification No. F.2(23)/83-S.II Dated 05.09.1984 published in Delhi Gazette dated 05.09.1984.**

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MUKESH PRASAD, Jt. Secy.

ANNEXURE - I

Recruitment Rules for the post of Instructor (Advanced Vocational Training System) in the Department of Training & Technical Education, Delhi

Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether selection post or Non-selection post	Whether benefit of added year of service admissible	Age Limit (For direct recruitment)	Educational and other qualifications required for direct recruitment.
1	2	3	4	5	6	7	8
Instructor (Advanced Vocational Training System)	04 * * (2008) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B Non-Gazetted Non-Ministerial	6500 – 200 - 10500	Selection	No	Not exceeding 30 Years Relaxable for Govt. Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshdweep.	Essential : i) Diploma or equivalent in Engg. / Technology from recognized board / university / institutions approved by AICTE. ii) Five years industrial / teaching experience in the relevant field. Note : The exact discipline both in respect of educational qualification and experience in the area will be notified at the time of each recruitment. Note: (i) Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB for reasons to be recorded in writing. In case of candidates other wise well qualified. Note: (ii) The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the DSSSB for reasons to be recorded in writing. In case candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the DSSSB is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by Direct or by Promotion or by Deputation/ Absorption and %age of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age-No Qualification: Yes	Two years	50 % Promotion failing which by Direct Recruitment 50 % Direct Recruitment	<u>Promotion</u> : Skilled workers (AVTS) in the scale of pay of Rs. 4500 – 7000 with eight years' qualifying service in the grade <u>Note:</u> Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service	Group "B" DPC [For considering promotion / confirmation] : 1. Financial Commissioner : Chairman 2. Administrative Secretary of the Department : Member 3. Deputy Secretary (Services) : Member 4. An Officer belonging to SC/ST community not below the rank ADM/Dy. Secretary in Govt. of NCT of Delhi : Member	Consultation with UPSC not necessary

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054